स्कूल ऑफ वाइल्डलाइफ फॉरेन्सिक एण्ड हेल्थ में परीक्षण हेतु नमुना भेजने की विधि

जैविक नमूनों का प्रजाति पहचान परीक्षण हेतु एकत्रीकरण

अज्ञात नमूनों की प्रजाति पहचान करने हेतु किसी भी प्रकार के जैविक पदार्थ, जिससे डी.एन.ए. प्राप्त करना है, उपयोग में ला सकते हैं। ताजे जैविक नमूनों के साथ–साथ सूखे हुए जैविक नमूनों को भी डी.एन.ए. परीक्षण के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, जिसके अंतर्गत ब्लड सेम्पल, मांस, रक्तरंजित कपड़ा, हथियार, मिट्टी, चमड़ी, अस्थियां, सींग, एन्टलर इत्यादि हैं जिसके द्वारा प्रजाति की पहचान की जा सकती है।

परीक्षण हेतु नमुना भेजने की विधिः जैविक नमूनों को एक डिब्बे में बंद कर परीक्षण हेतु भेजा जाता है। सर्वप्रथम डिब्बे में सिलिका जैल क्रिस्टल लेकर उसके ऊपर फिल्टर पेपर रखा जाता है। तत्पष्चात फिल्टर पेपर के ऊपर जैविक नमूना रखकर पुनः उस पर फिल्टर पेपर रखा जाता हे। फिर डिब्बे पर चपड़ा लगाकर उस पर कार्यालयीन मोहर द्वारा सील बंद किया जाता है। यह चपड़े पर लगी कार्यालयीन मोहर का एक सत्यापित नमूना पत्र में भी लगाया जाना चाहिए।

1. खून से सने हुए पत्ते, मिट्टी, या खून के सेंपल को पॉलिथीन या डिब्बे में बंद कर उस पर चपड़ा लगाकर सील बंद किया जाना चाहिए।
2. पुराने सेंपल हड्डी/सींग को पॉलिथीन या डिब्बे में बंद कर उस पर चपड़ा लगाकर सील बंद किया जाता है।
3. सील–बंद जैविक नमूनों को परीक्षण हेतु किसी विशेष वाहक द्वारा प्रयोगशाला को भेजा जाना चाहिऐ। विशेष –वाहक अपने साथ अपनी मूल पहचान–पत्र की फोटो आई.डी. जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाइलेंस, आधार कार्ड एवं विभाग द्वारा प्रदत्त पहचान–पत्र की मूल प्रति साथ में अवश्य लावें, जिससे केंद्र में जैविक नमूनों को प्राप्त करने में आसानी हो। एवं विशेष वाहक का नाम संलग्न पत्र पर अवश्य अंकित किया जाना चाहिए। संबंधित पत्र में P.O.R. नम्बर अवश्य दर्शाया जाना चाहिए।
4. परीक्षण प्रपत्र में पूरा पता जिसमें स्थानीय तहसील, जिला, कस्बा गली एवं दूरभाष आदि का विवरण देना चाहिये ताकि वह डाक द्वारा शीघ्रता से प्राप्त हो सके।
5. यह सुनिश्चित किया जाए कि कार्यालयीन समय (सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक) में जैविक नमूनों को भेजा जाना चाहिए। संबंधित कार्यालय में माह के द्वितीय एवं तृतीय शनिवार एवं प्रति रविवार को अवकाश रहता है।

जैविक नमूनों का हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण

शव प्ररीक्षण के उपरांत वन्यजीव पशु चिकित्सक द्वारा एकत्र किए गए जैविक नमूनों को सही तरीके से सीलबंद कर हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण के लिए प्रयोगशाला भेजना जरूरी होता हैं। शव परीक्षण के पहले जैविक नमूनों को संरक्षित करने हेतु द्रव (केमिकल) की व्यवस्था कर लेना चाहिए। हिस्टोपैथोलॉजी परीक्षण हेतु 10% फॉर्मेलिन (1 भाग 40% फॉर्मेल्डिहाइड + 9 भाग पानी) की आवश्यकता होती है।

परीक्षण हेतु नमुना भेजने की विधि :

1. जैविक नमूनों (हदय, फेफडे, किडनी, लीवर, स्प्लीन, आँत, अमाषय, ब्रेन व लिम्फ नोड के टुकडे) को 10% फॉर्मेलिन में रखा जाता है। नमूनों व फॉर्मेलिन का अनुपात 1:9 होना चाहिए।

2. जैविक नमूनों को भेजने हेतु लीकप्रूफ डिब्बे को उपयोग में लाया जाना चाहिए। डिब्बे को सीलबंद कर सील का नमूना, जैविक नमूनों का विवरण व प्रयोग में लाए गए परिरक्षण द्रव्य तथा साथ ही साथ P.O.R नम्बर का उल्लेख संलग्न पत्र में करना चाहिए।

3. पत्र के साथ पशु चिकित्सक द्वारा दी गई शव परीक्षण रिपोर्ट संलग्न करना आवश्यक है।

स्वास्थ्य परीक्षण हेतु जैविक नमूनों का संकलन

वन्यप्राणियों में बीमारी के प्रकोप की जानकारी हेतु प्रायः रक्त, रैक्टल तथा नेजल स्वेब, मल, मूत्र इत्यादि का संग्रह निर्धारित परिरक्षण साथ संकलित किये जाने चाहिये। साथ–साथ समय, स्थान एवं वन्यजीव की प्रजाति का स्पष्ट विवरण कंटेनर में अंकित करना चाहिए।

नमूने एकत्रित करते समय निम्न बातों पर विषेष ध्यान देना चाहिये :–

1. नमूने यथासंभव बिना विलंब किये एकत्रित करने चाहिये।
2. नमूने परीक्षण के आधार पर परिरक्षित करने चाहिये।
3 प्रत्येक नमूने की सही पहचान व संलग्न प्रपत्र के साथ शीघ्र प्रयोगशाला भेजें।
4 रिपोर्ट परीक्षण में लगनेवाले समय की जानकारी वैज्ञानिक से अवश्य प्राप्त कर ले।

परजीवी जनित बीमारियो के प्रयोगशाला परीक्षण हेतु नमूने एकत्रित करना

क्र.	प्रयोगशाला परीक्षण	नमूना	परिरक्षितीकरण	पात्र जिनमें नमूने एकत्रित करेंगे	रिमार्क
1.	रक्त	पूर्ण रक्त (Anticoagulant मिश्रित वेक्यूटेनर में)	बर्फ की पेटी या थरमस में	वेक्यूटेनर, स्वच्छ छोटे कांच या प्लास्टिक के कंटेनर में	जितना जल्दी हो सके लेब भेंजे
2.	रक्त पट्टिकाऐं	4–5 ब्लड स्मियर	मीथेनाल में फिक्स कर भेजे	एल्यूमीनियम फाइल मे लपेटकर	जितना जल्दी हो सके लेब भेंजे
3.	मूत्र	5–10 एम. एल.	अनारक्षित	वेक्यूटेनर, स्वच्छ छोटे कांच या प्लास्टिक के कंटेनर में	ऐसे पात्र का चुनाव करें जो लीक न करे पूर्ण विवरण के प्रपत्र के अनुसार भेंजे।
4.	मल (स्केट)	(रेक्टल पार्ट से 10 –20 पैलेट या 10 से 20 ग्राम मल)	सामान्यतः 5 प्रतिशत फॉरमेलिन में तथा डीएनए परीक्षण के लिये 70 प्रतिशत अल्कोहोल में अथवा आइस बाक्स में	कांच या प्लास्टिक के साफ कंटेनर में	ऐसे पात्र का चुनाव करें जो लीक न करे पूर्ण विवरण के प्रपत्र के अनुसार भेंजे।

5.	आंत्र परजीवी	वर्म (कृमि)	5 प्रतिशत फॉरमेलिन में	स्वच्छ कांच या प्लास्टिक के कंटेनर में तथा ब्लड स्मियर साफ कांच की स्लाइड में	ऐसे पात्र का चुनाव करें जो लीक न करे पूर्ण विवरण के प्रपत्र के अनुसार भेंजे।
6	बाह्य परजीवी	शरीर के बाहरी भागो में रेंगती हुयी किलनी या जुई	अनारक्षित	स्वच्छ कांच या प्लास्टिक के कंटेनर में	ऐसे पात्र का चुनाव करें जिसके ढक्कन में बहुत बारीक छिद्र हों पर ध्यान रहे बाह्य परजीवी न निकल सकें

संक्रामक बीमारी की जॉच हेतु जैविक नमूनों का संकलन

S.N.	Disease	Sample	Preservative
1	Tuberculosis	Whole blood	Cold chain
		Dung or faecal sample	Cold chain or 1X PBS
		Trunk wash with normal saline	Cold chain
2.	EEHV	Conjunctival swab (While collection, moisten it with PBS)	RNA*later* or 1X PBS
		Palate swab (While collection, moisten it with PBS)	RNA*later* or 1X PBS
		Vulval swab (While collection, moisten it with PBS)	RNA*later* or 1X PBS
3.	Leptospirosis	Urine sample	Cold chain
		Whole blood	Cold chain
4.	Canine distemper	Conjunctival swab (While collection, moisten it with PBS)	RNA*later*
5.	Canine parvo virus/Feline panleucopaenia	Faecal sample	Cold chain or 1X PBS
		Rectal swab (While collection, moisten it with PBS)	Cold chain or 1X PBS

स्वास्थ्य अथवा शव परीक्षण हेतु क्रेन्द्र में लाये जाने वाले वन्यप्राणियों संबंधी सामान्य दिशा निर्देश

1. कम से कम दो सहायकों को केंद्र में वन्यप्राणी के उपचार अथवा शव परीक्षण के लिए आना चाहिए, तथा उनके पास अधिकृत अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र होना चाहिए।

2. उपचार के लिए लाये जाने वाले वन्यप्राणी को केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित उपयुक्त पिंजड़े में ही लावें।

3. उपचार अथवा शव परीक्षण दोनों दशा में वन्यजीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र में पंजीयन कराना आवश्यक है।

4. उपचारित किये गये वन्यप्राणी को उस परिक्षेत्र के डी.एफ.ओ. के दिशा निर्देशन पर ही पुनः जंगल में छोड़ा जाना चाहिए।

5. यदि उपचारित वन्यप्राणी को पुनः उपचार या परीक्षण के लिए परामर्श दी गई है, ऐसी दशा में समीपस्थ वनविभाग के अमले की देख–रेख में उपयुक्त बाड़े या पिंजड़े में वन्यप्राणी को रखा जाना चाहिए।

6. ऐसे वाहन का चयन करें जिसमें बीमार वन्यप्राणी की न्यूनतम हैंडलिंग करना पड़े तथा परिवहन के दौरान सहजता से केंद्र में लाया जा सके।

7. परीक्षण अथवा उपचार के लिए वन्यप्राणी को लाने वाले वन कर्मचारी गणवेश में हों तथा उनके पास परिचय पत्र अवश्य होना चाहिए।

8. एंटीपोचिंग स्क्वाड अथवा वन कर्मचारी आकस्मिक सेवाओं के लिए आ रहे हैं तो कृपया कम से कम निर्धारित स्थान से रवाना होने के पहले दूरभाष पर केंद्र में सूचित करे दें, ताकि आगमन तक बीमार वन्यप्राणि के देख–रेख/उपचार की व्यवस्था सुनियोजित कर ली जावे।

जैविक नमूनों को जाँच हेतु भेजने का पताः–

संचालक
स्कूल ऑफ वाइल्डलाईफ फॉरेन्सिक एण्ड हेल्थ,
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ,
विटनरी कॉलेज कैंपस, साऊथ सिविल लाइन्स,
जबलपुर, (म.प्र.), 482001
दूरभाषः– 0761–2627150

भेजने वाली संस्था/कार्यालय का पूरा पता .....

दूरभाष ..... ई–मेल .....

क्रमांक/..... दिनॉक.....

स्कूल ऑफ वाईल्डलाईफ फॉरेन्सिक एण्ड हेल्थ, जबलपुर
प्रयोगशाला परीक्षण प्रपत्र–ख/9

प्रति,
संचालक,
स्कूल ऑफ वाईल्डलाईफ फॉरेन्सिक एण्ड हेल्थ,
नानाजी देशमुख पशुचिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय,
जबलपुर (म.प्र.)
फोन एवं फैक्स न.– 0761-2627150, ईमेल– directorswfh@gmail.com

विषयः– परीक्षण के लिए लाये जाने वाले नमूनों का **प्रयोगशाला परीक्षण** बावद्।
संदर्भः– .....

वांछित परीक्षण– प्रजाति पहचान (Species identification)/रोग निदान (Disease investigation)/ ऊतकीय परीक्षण (Histo Pathological examination) अंग अवशेष/ शव परीक्षण **(टिक करें)**

विषयांतर्गत् निवेदन है कि पी.ओ.आर. क्रं.....दिनॉक.....में वन परिक्षेत्र .....,उप वनमंडल .....,वनमंडल.....के अंतर्गत् कक्ष क्रमांक (स्थान)..... से जप्त किए गये नमूना/नमूनें सील बंद कर (वाछिंत परीक्षण का नाम).....पत्र वाहक का नाम .....के हस्ते आपकी ओर भेजे जा रहे हैं। कृप्या इन नमूना/नमूनों का परीक्षण कर रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

नमूना क्रं.	नमूनों का विवरण	संरक्षित पदार्थ
1		
2		
3		

सेंपल वाहक के सत्यापित हस्ताक्षर	नमूना/नमूनों पर चपड़ा सील हेतु प्रयुक्त मुहर का नमूना इंक पैड द्वारा

संलग्नः– उपरोक्तानुसार नमूने (सील बंद)

(अधिकारी के हस्ताक्षर)
कार्यालयीन सील सहित

दूरभाष क्र0
क्रमांक/ बालाघाट,दिनांक,

स्कूल ऑफ वाईल्ड लाईफ फोरेंसिंक एंव हेल्थ जबलपुर
प्रयोगशाला परीक्षण प्रपत्र ख/2019

प्रति

संचालक
स्कूल ऑफ वाईल्ड लाईफ फोरेंसिक एंव हेल्थ
नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय ,
साउथ सिविल लाइन
जबलपुर (म0प्र0)

विषय :— परीक्षण के लिये जाने वाले नमूनों का प्रयोगशाला परीक्षण बाबद।
वांछित परीक्षण:—प्रजाति पहचान (Species Identification)

—00—

निवेदन है कि पी.ओ.आर.क्र. दिनांक द्वारा दक्षिण सामान्य वनमंडल बालाघाट के बालाघाट सामान्य उपवनमंडल के बालाघाट वन परिक्षेत्र सा0 के परिक्षेत्र सहायक वृत्त गागुंलपारा के अंतर्गत केरा बीट के कक्ष क्र0 132 आरक्षित वन क्षेत्र में दिनांक 15.5.19 को वन्यप्राणी भेडकी (Barking Deer) का मास जप्त किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण में वन्यजीव के प्रजाति की पहचान — जॉच हेतु मॉस सैम्पल को पशु चिकित्सक द्वारा सील बंद पैकिंग की गई है।

उपरोक्त सीलबंद पैकिंग आपकी ओर विशेष वाहन वनरक्षक के हस्ते परीक्षण किये जाने हेतु भेजी जा रही है। कृपया इन नमूनों का परीक्षण कर रिपोर्ट से इस कार्यालय को अवगत करानें का कष्ट करे।

नमूना क्र0	नमूनों का विवरण	परीक्षण जो किया जाना है	संरक्षित पदार्थ
A	Meat	Identification of Species	**सिलिका जैल**

सैंपल वाहक के सत्यापित हस्ताक्षर	नमूना/नमूनों पर चपडा सील हेतु प्रयुक्त मुहर का नमूना इंक पैड द्वारा
	R.O. BALAGHAT

अवयवों का विवरण निम्न है:—
संलग्नः— 1 पैकिंग सील सहित

वनक्षेत्रपाल
वनपरिक्षेत्र अधिकारी,
बालाघाट (सा.) परिक्षेत्र

ge\wild life\wild life 5.doc